फर्द अहकाम

बनाम

आज्ञा या डिक्री	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
117	आज यह प्रमाणित हमारा लोक अदालत [illegible] कोर्ट मुकदमा [illegible] पर पेश है वादिनी की ओर से वादिनी के पति प्रतिवादी [illegible] वादिनी के पति का कथन है कि वाद के पक्षकारों के मध्य [illegible] हो गया है। अतः अब वाद को आगे नहीं चलाना चाहती है। वादिनी द्वारा वाद विड्रॉ किये जाने पर वाद खारिज किया जाता है। पक्षकारों को अपना-अपना खर्चा वहन करने का है।	[illegible] वादिनी [illegible]

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) मुरादाबाद